

दवियांग वयक्तियों के लयि पदोन्नतमें आरक्षण का अधकार

प्रलिमिस के लयि

सुगम्य भारत अभयान, दवियांगजन अधकार अधनियम 2016, दवियांगजन अधकारों संबधी अन्य संवैधानकि प्रावधान

मेन्स के लयि

दवियांगजनों के लयि पदोन्नतमें आरक्षण की आवश्यकता और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कयि है कि शारीरकि रूप से अक्षम वयक्तियों को पदोन्नतमें भी आरक्षण का अधकार है ।

- एक दवियांग वयक्तितब भी पदोन्नतके लयि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब उसे सामान्य वर्ग में भरती कयि गया हो या अक्षमता की स्थिति रोजगार प्राप्त करने के बाद उत्पन्न हुई हो ।

प्रमुख बदि

मामले के वषिय में

- यह मामला 'दवियांग वयक्ति (समान अवसर, अधकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियम, 1995' के तहत प्रस्तुत एक दावे पर आधारित है ।
 - इस अधनियम को दवियांग वयक्तियों के अधकार अधनियम 2016 के साथ प्रतस्थापति कयि गया है ।
- केरल प्रशासनकि न्यायाधकिरण ने आवेदक की याचिका को यह कहते हुए खारजि कर दयि था कि सरकार द्वारा 1995 के अधनियम की धारा 32 के तहत केरल राज्य में भरती के नयिम, सामान्य नयिम और इससे संबधी आदेशों में पदोन्नतमें कसि भी आरक्षण का प्रावधान नहीं कयि गया है ।
- केरल उच्च न्यायालय ने केरल प्रशासनकि न्यायाधकिरण के फैसले को रद्द कर दयि था ।

नरिणय का महत्त्व

- वर्ष 1995 का अधनियम पदोन्नतमें आरक्षण के अधकार को मान्यता देता है ।
- वर्ष 1995 के अधनियम की धारा 32 के अनुसार, आरक्षण के लयि पदों की पहचान नयिुक्ति हेतु एक पूरवापेक्षा है; लेकनि पदों की पहचान करने से इनकार करके नयिुक्ति के लयि मना नहीं कयि जा सकता है ।
- भरती नयिमों में आरक्षण के प्रावधान की अनुपस्थिति कसि दवियांग वयक्ति के अधकार को समाप्त नहीं करती है, क्योंकि दवियांग वयक्ति को यह अधकार कानून से प्राप्त होता है ।
- दवियांग वयक्ति (PwD) को पदोन्नतके लयि आरक्षण दयि जा सकता है, भले ही वह वयक्ति मूल रूप से PwD कोटे में नयिुक्त न हुआ हो ।
- इसके अलावा दवियांग वयक्तियों को समान अवसर प्रदान करने का दायित्व भरती के समय उन्हें आरक्षण देने के साथ समाप्त नहीं होता है ।
- वधायी जनादेश दवियांग वयक्तियों को पदोन्नतसमेत संपूरण करियर में प्रगति के लयि समान अवसर प्रदान करता है ।
 - इस प्रकार यद दवियांग वयक्तियों को पदोन्नतसे वंचित कयि जाता है और यद ऐसा आरक्षण सेवा में शामिल होने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमति है तो यह वधायी जनादेश की उपेक्षा होगी ।
 - यद आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप दवियांग वयक्ति एक नश्चिति पद तक सीमति हो जाएंगे और उनमें मानसकि तनाव बढ़ेगा ।

दवियांगजन अधकार अधनियम, 2016

- यह अधनियम '[वकिलांग वयक्तियों के अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय](#)' (United National Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है, जसि पर भारत ने भी हस्ताक्षर कयि हैं ।

- इस अधिनियम में वकिलांगता को एक वकिसति और गतशील अवधारणा के आधार पर परभाषित किया गया है:
 - अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
 - इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डिसट्रॉफी, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, बोलने और भाषा की वकिलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सकिल सेल रोग, बहरापर, अंधापन, एसडि अटैक से पीड़ित व्यक्ति तथा पार्कसिंस रोग सहित कई वकिलांगताएँ शामिल हैं, जिन्हें पूर्व अधिनियम में काफी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया था।
 - इसके अलावा सरकार को किसी विशेष प्रकार की वकिलांगता को अन्य श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है।
- यह अधिनियम दवियांग लोगों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को 3%-4% और उच्च शक्ति संस्थानों में 3%-5% तक बढ़ाता है।
- इस अधिनियम में बेंचमार्क वकिलांगता (Benchmark-Disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
 - सरकारी वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दवियांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।
- **सुगम्य भारत अभियान** (Accessible India Campaign) को मज़बूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक इमारतों (सरकारी और नज़ी दोनों) में दवियांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- दवियांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिये मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों के रूप में कार्य करेंगे तथा शकियत नविवरण एजेंसियाँ, अधिनियम के कार्यान्वयन की नगरानी करेंगी।
- दवियांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय और राज्य नधि' (National and State Fund) का निर्माण किया जाएगा।

भारत में दवियांगजनों हेतु संवैधानिक ढाँचा:

- राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों (DPSP) के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर काम, शिक्षा और बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु प्रभावी प्रावधान करेगा।
- **राज्य का वषिय:** वकिलांगों और बेरोज़गारों को राहत' (Relief Of The Disabled and Unemployable') का वषिय संवधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में नरिदषिट है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-to-reservation-in-promotions-for-pwds>

